राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10804/2024

श्री चतुर्भुज कंस्ट्रक्शन बिल्डकॉम, पता-4 वीं मंजिल, डी-82, कृष्णा मार्ग, सिवाड़ क्षेत्र, जयपुर है, जरिये साझेदार श्री जगदीप सिंह शेखावत ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, संसद मार्ग, नई दिल्ली जरिये सचिव वित्त ।
2. राजस्थान राज्य, जरिये वित्त सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, संसद मार्ग, नई दिल्ली जरिये अध्यक्ष ।
4. राज्य कर अपीलीय प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर- II, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, अम्बेडकर सर्कल, जनपथ, जयपुर।
5. सहायक आयुक्त राज्य कर, राजस्थान, सर्कल डी, जयपुर-द्वितीय, वार्ड-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन अम्बेडकर सर्कल, जनपथ, जयपुर

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री सिद्धार्थ रांका, अधिवक्ता,के साथ सुश्री सात्विका झा, अधिवक्ता
उत्तरदाता (ओं) की ओर से	:	श्री कार्तिकेय शर्मा, अधिवक्ता, श्री संदीप तनेजा, एएजी की ओर से। श्री कपिल शर्मा, अधिवक्ता (वीसी के

माध्यम से) के साथ सुश्री इशिका कोठारी, अधिवक्ता

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय श्रीमती. जस्टिस शुभा मेहता
आदेश

24/01/2025

1. यह याचिका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद 'सीजीएसटी अधिनियम') के तहत पंजीकरण रद्द करने, पंजीकरण रद्द करने के आवेदन को अस्वीकार करने और अपील को खारिज करने के क्रमशः 31.07.2023, 18.10.2023 और 29.01.2024 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-फर्म जीएसटी अधिनियमों के तहत पंजीकृत थी। लगातार छह महीने तक जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने पर, दिनांक 31.07.2023 के आदेश द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने 24.08.2023 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत पंजीकरण रद्द करने के आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन 18.10.2023 को खारिज कर दिया गया। अपील यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि रद्द करने का आवेदन निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया गया था और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31.07.2023 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, और आदेश पारित होने के तीस दिनों के भीतर निरस्तीकरण हेतु आवेदन दायर किया गया था।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का विकल्प है। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने छह महीने से अधिक समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया।

5. पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने से याचिकाकर्ता के व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ता है। जीएसटी न्यायाधिकरण के निष्क्रिय रहने से याचिकाकर्ता के पास कोई राहत नहीं बची है, इसलिए रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

6. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश 31.07.2023 का है और रद्दीकरण आदेश की तामील के तीस दिनों के भीतर निरस्तीकरण आदेश का आवेदन दायर किया गया था। अपील को खारिज करना एक तथ्यात्मक त्रुटि पर आधारित था। सीमा अवधि की गणना के लिए पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि को लिया गया था, जबकि प्रासंगिक तिथि रद्दीकरण आदेश की तामील की है।

7. अपीलीय प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को नए सिरे से अपील पर निर्णय हेतु वापस भेजा जाता है।

8. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(शुभा मेहता), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

हिमांशु सोनी/29

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate